tay order

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी – दमयंती कंवर आर.ए.एस. नवलगढ़

नोपाराम पुत्र श्री नरायण जाति गुर्जर निवासी टोंकछीलरी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।	**–बनाम–**	**मूलाराम पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी टोंक ढाका की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू वगैरह।**
किस्म मुकदमा – प्रा0 पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा		**मु.नं. ...10.../2021** **RCMS No**

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
02.08.2021	आज यह प्रार्थना पत्र आवेदकगण की ओर से वकील **श्री सज्जन चाहर** ने विरूद्व अनावेदकगण बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील आवेदक द्वारा प्रकरण मे निवेदन किया कि अनावेदकगण संख्या को तादौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाके ग्राम टोंकछीलरी तहसील नवलगढ में स्थित खाता संख्या 22 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 232 रकबा 2.00 हैक्टर में आवेदकगण नम्बर 01 आवेदक के हिस्से की भूमि की सींव डोल नही फोडे तथा आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 232 से किसी प्रकार का जबरन रास्ता नही निकाले आवेदक के कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग में अनुचित हस्तक्षेप नही करे तथा ना ही किसी प्रकार की सींव डोल फोडे तथा न ही कोई पेड काटे। उक्त कार्य न तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी से करावे। मोके की यथास्थिति बनाये रखे। तथा आवेदकगण नम्बर 02 को इस आशय की तहरीर जारी की जावे की उक्त भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करते हुये आवेदक वकील को एकपक्षीय सुना गया। प्रथम दृष्टया आवेदक वकील का उक्त कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः अनावेदकगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी तक विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम टोंकछीलरी तहसील नवलगढ में स्थित खाता संख्या 22 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 232 रकबा 2.00 हैक्टर भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे। उक्त पालना हेतु तहसीलदार/उपपंजीयक नवलगढ को तहरीर जारी हों। अनावेदकगण की तलबी आवेदक के खर्चे पर जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक से जारी हो। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे। उक्त आदेश किसी भी अपर न्यायालय के किसी भी आदेश की पालना में बाधक नहीं होगा। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24.09.2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) **(दमयंती कंवर)** **ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)** **नवलगढ**	
24/9/21	पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदक उपस्थित। वकील आवेदक ने नोट प्रेस कर प्रकरण को आगे नहीं चलाने का निवेदन किया। अतः प्रकरण नोट प्रेस के आधार पर इसी स्तर पर खारिज [illegible] पत्रावली फैसला शुमार [illegible] नम्बर से दर्ज [illegible] तथा बाद तकमील आज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) **ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)** **नवलगढ**	नोट प्रेस (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:39:13 IST
Reason: SelfAttested